

सं0 ए-32013/02/2019-केहिप्रसं/

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

7वीं मंजिल, अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स

लोदी रोड़, नई दिल्ली - 110003

दिनांक : 24-06-2020

कार्यालय आदेश

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई 2009 के कार्यालय जापन सं0 35034/3/2008-स्था(घ) के तहत जारी दिशा-निदेशों तथा राजभाषा विभाग के दिनांक 16.06.2019 के पत्र संख्या 14034/19/2019-राभा (प्रशि) के अनुसार हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में तैनात निम्नलिखित अधिकारियों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत उनके नाम के आगे दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम/तृतीय वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ दिया जाता है:-

क्र.सं	अधिकारी का नाम व पदनाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	प्रारंभिक/नियमित नियुक्ति की तारीख	वित्तीय अपग्रेडेशन की तारीख	वित्तीय अपग्रेडेशन देने पर वेतनमान	दिए जाने वाले वित्तीय अपग्रेडेशन का प्रकार
1	डॉ.दलजीत कौर, सहायक निदेशक (भाषा) (दिनांक 30.11.2019 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त)	02.11.1989	02.11.2019	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
2.	हरिनारायण त्रिवेदी, सहायक निदेशक (भाषा)	19.02.1990	19.02.2020	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
3.	जयशंकर प्रसाद, सहायक निदेशक (भाषा)	04.01.1990	04.01.2020	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
4.	सुनील कुमार लोका, सहायक निदेशक (भाषा)	08.01.1990	08.01.2020	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
5.	बंकट लाल शर्मा, सहायक निदेशक (भाषा)	21.11.1989	21.11.2019	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
6.	राधिका देवी डी. सहायक निदेशक (भाषा)	26.12.1989	26.12.2019	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
7.	एम.पी.दामोदरन, सहायक निदेशक (भाषा)	20.11.1989	20.11.2019	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
8	बिन्दू, सहायक निदेशक (भाषा)	26.12.1989	26.12.2019	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
9	बेला सहायक निदेशक (भाषा)	01.01.1990	01.01.2020	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
10	रमा पी अंयगार सहायक निदेशक (भाषा)	08-11-1989	08.11.2019	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
11	प्रतिभा मलिक सहायक निदेशक (भाषा)	08.11.1989	08.11.2019	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
12	जयश्री वेंकटरामन सहायक निदेशक (भाषा)	01-12-1989	01.12.2019	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
13	जयकुमार के.वी.	10-01-1990	10.01.2020	लेबल-12	तृतीय

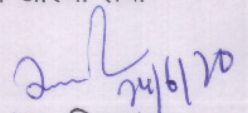
	सहायक निदेशक (भाषा)			₹78800-209200	
14	अंजुम अग्रवाल सहायक निदेशक (भाषा)	08-02-1990	08.02.2020	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
15	कृष्ण महेश मिश्र सहायक निदेशक (भाषा)	20-11-1989	20.11.2019	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
16	प्रीति सिंह सहायक निदेशक (भाषा) (दिनांक 31.5.2020 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त)	17-11-1989	17.11.2019	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
17	राज़ी एस.कुरुप सहायक निदेशक (भाषा)	27-12-1989	27.12.2019	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
18	ए.वी.सुजाता डोरा सहायक निदेशक (भाषा)	03-01-1990	03.01.2020	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
19	रणवीर सिंह सहायक निदेशक (भाषा)	03-10-1989	03.10.2019	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
20	करन सिंह सहायक निदेशक (भाषा)	11-10-1989	11.10.2019	लेबल-12 ₹78800-209200	तृतीय
21	विक्रम सोनी सहायक निदेशक (हिंदी टकण और हिंदी आशुलिपि)	06-11-2009	06.11.2019	लेबल-11 ₹67700-208700	प्रथम
22	अनिल कुमार साहू (हिंदी टकण और हिंदी आशुलिपि)	24-11-2009 (अपराहन)	25.11.2019	लेबल-11 ₹67700-208700	प्रथम
23	घनश्याम प्रसाद सहायक निदेशक (हिंदी टकण और हिंदी आशुलिपि)	09-11-2009	09.11.2019	लेबल-11 ₹67700-208700	प्रथम
24	यशवन्त माठे सहायक निदेशक (हिंदी टकण और हिंदी आशुलिपि)	30-11-2009	30.11.2019	लेबल-11 ₹67700-208700	प्रथम

2. यह वित्तीय अपग्रेडेशन संबंधित अधिकारी के लिए पूर्णतः वैयक्तिक आधार पर होगा और उसकी वरिष्ठता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वित्तीय अपग्रेडेशन से किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस आधार पर कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा कि उससे कनिष्ठ अधिकारी उक्त ग्रेड में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के कारण उच्चतर वेतन ले रहा है।

3. उपरोक्त अधिकारियों का वेतन मूलभूत नियमावली के नियम 22(1)(क)(1) के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया जाएगा। मूल नियम 22(1)(क)(1) में दी गई व्यवस्था के आधार पर वेतन निर्धारण के लिए संबंधित अधिकारी इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प दे सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद दिया गया विकल्प मान्य नहीं होगा।

4. संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत स्वीकार्य वित्तीय लाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय मिलने वाले वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिलेगा।

5. संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की पुष्टि लेखा परीक्षा द्वारा की जाएगी तथा आवश्यक वसूली, यदि कोई हुई तो लेखा परिप्रेक्ष्य में की जाएगी।


(राम निवास)

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. वेतन तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, सी.आई.एस.एफ., गृह मंत्रालय, चेन्नै
3. संयुक्त निदेशक (प्रशि), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के उनके दिनांक 16-6-2020 के का.आदेश सं.14034/19/2019-रा.भा.(प्रशि.) के संदर्भ में।
4. उप निदेशक (दक्षिण/पश्चिम/पूर्व/पूर्वोत्तर/मध्योत्तर/परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, चेन्नै/मुंबई/कोलकाता/नई गुवाहाटी/दिल्ली ।
5. संबंधित अधिकारीगण वाया ई-मेल ।
6. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली । वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।
7. व्यक्तिगत मिसिल/सेवापंजी ।

